GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION : SCHOOL BRANCH
OLD SECRETARIAT : DELHI-110054

No. DE.23 (363)/ Sch.Br./2019-20/ 249 Dated: 26/2/2020

CIRCULAR

Sub.: Guidelines for Parents w.r.t. Admissions in Entry Classes i.e. Nursery / KG /Class-I in Government Sarvodaya Vidyalayas for the Academic Session 2020-21.

1. Application forms for admissions to **the Entry Level Classes i.e. Nursery/KG/Class-I**, (whichever is the entry level class in Government Sarvodaya Vidyalayas of the Directorate of Education, Govt. of NCT Delhi) can be obtained from the concerned Sarvodaya Vidyalayas from **02-03-2020 (Monday)** to **17-03-2020 (Tuesday) (both days inclusive)** on all working days. Forms can also be downloaded from the Department's website www.edudel.nic.in under the link '**Govt. School Admissions'**.

2. Application forms, complete in all respect, will be received in the morning shift schools from 8.30 AM to 11.30 AM and in the evening shift schools from 2.30 PM to 5.30 PM from **02-03-2020 (Monday)** to **17-03-2020 (Tuesday) (both days inclusive)** on all working days. Children residing in Delhi in the vicinity of 1 km of the school (if a Sarvodaya Vidyalaya is not available in the vicinity, then residents within a radius of 3 km. of the schools) shall be eligible to apply.

3. If a Sarvodaya Vidyalaya is not available within 3 km of residence of any child, then he/she may get enrolled himself/herself for admission in Sarvodaya Vidyalaya nearer to his/her residence.

4. The following documents are required to be produced by the parent/guardian at the time of admission:-

   a) (i) Original Date of Birth Certificate issued by MCD or any other local body **OR**
   (ii) Anganwadi record **OR**
   (iii) Hospital/Auxiliary Nurse and Midwife (ANM) register record **OR**
   (iv) An Undertaking by the Parents regarding Date of Birth as per Part-B of the Application Form.

   b). One passport size photograph of the child.

   c). Any one of the following documents **as residence proof of Delhi**:-
   (i) Ration Card issued in the name of parents having name of the child.
   (ii) Domicile certificate of child or parents.
   (iii) Voter I card of any of the parents.
   (iv) Electricity bill/MTNL telephone bill/Water bill.
   (v) Bank Passbook in the name of child or any of the parents.

(vi) Aadhar card of child / any of the parents.

(vii) Passport in the name of child / any of the parents.

Note: Admission will not be denied to any Divyang child, destitute child, refugee/asylum seeker, homeless, migrant, orphan or child in need of care & protection in any Govt. school due to non availability of essential documents at the time of submission in the School.

Provisional admission for 30 days will be allowed on the basis of simple undertaking on plain paper by the parents/guardians. Head of Schools will provide details of such students to Cluster Resource Co-ordinators.

CRCs and SMC Members will help the students and parents in making these documents available to them, so that the provisional admission may be regularized within the stipulated time and the students may be able to take the advantage of Direct Benefit Transfer (DBT) of scholarships in their bank accounts.

5. Selection of candidates will be done by draw of lots to be held on **21-03-2020 (Saturday)** at 11:00 AM in the morning shift and 3:00 PM in the evening shift schools in the presence of parents/guardians.

6. The application forms of only those children will be considered for admission to

   a. Nursery Class, who have completed 3 years of age as on 31-03-2020 (child must be born between 01-04-2016 and 31-03-2017).

   b. Class KG, who have completed 4 years of age as on 31-03-2020 (child must be born between 01-04-2015 to 31-03-2016).

   c. Class I, who have completed 5 years of age as on 31-03-2020 (child must be born between 01-04-2014 and 31-03-2015).

   Further, the age relaxation upto 30 days may be granted at the level of Heads of Schools in the maximum as well as minimum age for Classes Nursery/KG/Class-I as per circular no. DE 23.(363)/Sch. Br./2016/1553 dated 19-09-2016. Additional age relaxation is to be provided to Specially abled children, as per circular No. DE.40(20)/EVG/IEDC/Circular/98/7109-8699 dated 6.01.2003.

7. The list of children selected through the draw of lots will be **displayed on the School Notice Board on 23-03-2020 (Monday) at 11.00 AM in Morning/General Shift Schools & at 03:00 PM in Evening Shift Schools.** Admission process will start from **24-03-2020 (Tuesday) and will be completed by 28-03-2020 (Saturday)**. If any seat is left vacant, admission of children placed in waiting list will be done from **30-03-2020 (Monday)** to **31-03-2020 (Tuesday)**.

8. In case of selected children, the immunization certificate is to be submitted by the parents/guardians within 6-months from the date of admission.

9. Primary Classes will commence from 1st April, 2020 (Wednesday) including Nursery, KG and First.

10. Reservation of seats will be as follows:-

   i. 15% seats for Scheduled Caste candidates.
   ii. 7.5% seats for Scheduled Tribe candidates.
   iii. 3% seats for Divyangjan (having a certificate issued by a Govt. Hospital).
   iv. 2% for the wards for the employees of the Directorate of Education (1% for the wards of Ministerial staff and 1% for Teacher's wards).

   In case of non-availability of candidates in the reserved categories, the vacant seats may be given to the unreserved candidates as per the order of name in the waiting list.

This issues with prior approval of the Competent Authority.

26.2.2020

Dr. Saroj Sain
Addl.DE (School)

Encl: As above.

<u>All Heads of Govt. Sarvodaya Vidyalayas under Directorate of Education through DEL-E.</u>

No. DE.23 (363)/ Sch.Br./2019-20/ 249 Dated: 26/2/2020

Copy to:-

1. PA to Director (Education).
2. All RDEs/DDEs(District/Zone) to ensure compliance.
3. System Analyst for uploading on MIS.
4. Guard File.

DDE (School)

दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
शिक्षा निदेशालय, विद्यालय शाखा
पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054

No. DE.23 (363)/ Sch.Br./2019-20/251 दिनांक: 26/2/2020

विज्ञप्ति

विषय: राजकीय सर्वोदय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2020-21 में प्रारंभिक कक्षाओं यथा - नर्सरी / के.जी. / कक्षा एक में प्रवेश हेतु अभिभावकों के लिए दिशा निर्देश

1. प्रारंभिक कक्षाओं यथा - नर्सरी / के.जी. / कक्षा एक (जो भी शिक्षा निदेशालय के राजकीय सर्वोदय विद्यालय, दिल्ली सरकार के प्रारंभिक स्तर हों) में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र संबंधित सर्वोदय विद्यालय से दिनांक 02-03-2020 (सोमवार) से 17-03-2020 (मंगलवार) तक (दोनों दिन सम्मिलित) सभी कार्य दिवसों में प्राप्त किए जा सकते हैं| आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट www.edudel.nic.in के लिंक 'Govt. School Admissions' से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

2. पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र सुबह वाली पाली के विद्यालयों में प्रातः 8:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा सांयकालीन पाली में दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक दिनांक 02-03-2020 (सोमवार) से 17-03-2020 (मंगलवार) (दोनों दिन सम्मिलित) तक सभी कार्य दिवसों में प्राप्त किए जा सकेंगे | दिल्ली में सर्वोदय विद्यालय की 1 किलोमीटर की परिधि में रहनेवाले बच्चे (यदि सर्वोदय विद्यालय 1 किलोमीटर में न हो तो, विद्यालय के 3 किलोमीटर की परिधि में रहनेवाले बच्चे) आवेदन के योग्य होंगे|

3. यदि किसी बच्चे के आवास के 3 किलोमीटर के दायरे में भी कोई सर्वोदय विद्यालय न हो, तब वह अपने आवास के सबसे नज़दीक के सर्वोदय विद्यालय में आवेदन कर सकते हैं|

4. माता-पिता / अभिभावकों द्वारा प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी|

   i). i) जन्म प्रमाण पत्र की मूल प्रति, जो एम सी डी अथवा किसी अन्य स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत किया गया हो अथवा

   ii) आंगनवाड़ी ब्यौरा अथवा

   iii) अस्पताल, सहायक नर्स एवं दाई (ए. एन. एम.) पंजीकरण ब्यौरा अथवा

   iv) माता / पिता / अभिभावक द्वारा जन्म तिथि के सम्बन्ध में स्वघोषणा पत्र जो आवेदन प्रपत्र के भाग 'ब' में वर्णित है|

   ii). बच्चे का एक पासपोर्ट साइज फोटो|

   iii). **दिल्ली में निवास** संबंधी प्रमाण हेतु निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज :-

      i). माता/पिता के नाम में जारी राशन कार्ड जिसमे बच्चे का नाम हो|

      ii). बच्चे या माता/पिता का आवास प्रमाण-पत्र |

      iii). पानी, बिजली, टेलीफोन (एम टी एन एल) का बिल|

      iv). बच्चे अथवा माता/पिता का आधार कार्ड|

      v). बच्चे अथवा माता/पिता का पासपोर्ट|

नोट: यदि कोई भी दिव्यांग, निराश्रित, शरणार्थी/ आश्रय चाहने वाले, बेघर, प्रवासी, अनाथ अथवा वह बालक / बालिका जिन्हे देखभाल और संरक्षण की जरूरत है, उपरोक्त में से कोई आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करवा सके तो भी उसे प्रवेश देने से इंकार नहीं किया जायेगा|

ऐसे बच्चों को 30 दिनों तक माता/पिता अथवा अभिभावकों द्वारा एक सामान्य स्वघोषणा पत्र (जो सादे कागज़ पर हो) लेकर औपबंधिक प्रवेश की अनुमति देनी होगी| ऐसे छात्रों का विवरण विद्यालय प्रमुख द्वारा क्लस्टर रिसोर्स को-ऑर्डिनेटर को उपलब्ध कराया जाये|

CRC एवं SMC के सदस्य ऐसे बच्चे, उनके माता-पिता / अभिभावक को इन दस्तावेजों को उपलब्ध कराने में मदद करेंगे, ताकि निर्धारित समय में ऐसे औपबंधिक प्रवेश को नियमित किया जा सके और बच्चे को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) का लाभ उनके बैंक अकाउंट में मिल सके|

5. अभ्यार्थियों का चयन लॉटरी द्वारा विद्यालय में माता-पिता/अभिभावकों की उपस्थिति में किया जाएगा| चयन प्रक्रिया कि 21-03-2020 (शनिवार) को सुबह की पाली के विद्यालयों में 11:00 बजे पूर्वाह्न और शाम की पाली के विद्यालयों में 3:00 बजे अपराह्न में आयोजित किया जाएगा|

6. प्रवेश के लिए केवल उन्हीं बच्चों के आवेदन प्रपत्रों पर विचार किया जाएगा:
   i). **<u>नर्सरी कक्षा में प्रवेश हेतु:</u>** जिन्होंने 3 वर्ष की आयु 31-03-2020 को पूरी कर ली हो (बच्चे का जन्म 01-04-2016 और 31-03-2017 के बीच होना चाहिए)।
   ii). **<u>के.जी. कक्षा में प्रवेश हेतु:</u>** जिन्होंने 4 वर्ष की आयु 31-03-2020 को पूरी कर ली हो (बच्चे का जन्म 01-04-2015 से 31-03-2016 के बीच होना चाहिए)।
   iii). **<u>कक्षा एक में प्रवेश हेतु:</u>** जिन्होंने 5 वर्ष की आयु 31-03-2020 को पूरी कर ली हो (बच्चे का जन्म 01-04-2014 और 31-03-2015 के बीच होना चाहिए)।

इसके अतिरिक्त परिपत्र संख्या DE.23(363)/Sch.Br./2016/1553 दिनांक 19-09-2016 के अनुसार विद्यालय प्रमुख के स्तर पर कक्षा नर्सरी / के.जी. / कक्षा एक के लिए अधिकतम या न्यूनतम आयु में में 30 दिनों की आयु छूट प्रदान की जा सकती है| दिव्यांग बच्चों के लिए अतिरिक्त आयु छूट परिपत्र संख्या DE.40(20)/EVG/IEDC/Circular/98/7109-8699 दिनांक 06-01-2003 के अनुसार प्रदान की जा सकती है|

7. लॉटरी द्वारा चुने गए बच्चों की सूची विद्यालय के सूचना पट्ट पर 23-03-2020 (सोमवार) को सुबह / सामान्य पाली में 11.00 बजे पूर्वाह्न और सायंकालीन पाली के विद्यालयों में 03:00 बजे अपराह्न प्रदर्शित की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया 24-03-2020 (मंगलवार) से शुरू होगी और 28-03-2020 (शनिवार) तक पूरी होगी। यदि कोई स्थान रिक्त रह जाता है, तो प्रतीक्षा सूची में रखे गए बच्चों का प्रवेश 30-03-2020 (सोमवार) से 31-03-2020 (मंगलवार) तक किया जाएगा।

8. चयनित बच्चों के मामले में, प्रवेश की तारीख से 6 महीने के भीतर माता-पिता / अभिभावकों द्वारा टीकाकरण प्रमाणपत्र जमा किया जाना है।

A. Jain

9. प्राथमिक कक्षाएँ, नर्सरी, केजी और कक्षा एक के साथ, 1 अप्रैल, 2020 (बुधवार) से शुरू होंगी|

10.सीटों का आरक्षण निम्नानुसार होगा: -

i). अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 15% सीटें।

ii). अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 7.5% सीटें।

iii). दिव्यांगजन के लिए 3% सीटें (सरकारी अस्पताल द्वारा जारी किये गए प्रमाण पत्र के साथ)।

iv). शिक्षा निदेशालय के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 2% (प्रशासनिक कर्मचारियों के बच्चों के लिए 1% और शिक्षक के बच्चों के लिए 1%)।

11. आरक्षित श्रेणियों में उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में रिक्त सीटों को प्रतीक्षा सूची में नाम के क्रम के अनुसार अनारक्षित उम्मीदवारों को दिया जा सकता है।

सक्षम प्राधिकारी के द्वारा पूर्व अनुमोदित।

A. Jain 26.2.2020

अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (विद्यालय)

<u>DEL-E के माध्यम से शिक्षा निदेशालय के तहत सरकारी सर्वोदय विद्यालय के सभी प्रमुखों को।</u>

No.DE.23 (363)/ Sch.Br./2019-20/251 Dated: 26/2/2020

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक (शिक्षा) के निजी सहायक|
2. अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक / उप शिक्षा निदेशक (जिला / जोन)।
3. MIS पर अपलोड करने के लिए सिस्टम एनालिस्ट।
4. गार्ड फ़ाइल।

उप शिक्षा निदेशक (विद्यालय)